



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 1979/आश्विन 11, 1901
No. 311] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 1979/ASVINA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

राजपत्र

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1979

सा.का.नि. 562(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3,
उपखण्ड (1) तारीख 12 सितम्बर, 1979 के पृष्ठ 1163 पर प्रकाशित भारत
सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय के आदेश सं. सा. का. नि. 536(अ)
में, —

1. प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति में “आ.व./चीनी केन्द्रीय सरकार” के
स्थान पर “आ. व./चीनी-केन्द्रीय सरकार पढ़ें” ;
2. पैरा 4 में, चौथी पंक्ति में “स्पम्भ 2” के स्थान पर “स्तम्भ 2”
पढ़ें ;

3. अनुसूची 1 में, स्तम्भ 1 के नीचे “पाडिचेरी” के पश्चात् “आसाम” को नागालैण्ड उड़ीसा पश्चिमी बंगाल के साथ पढ़ें ;
4. अनुसूची 1 के पश्चात्, टिप्पण की मातवी पंक्ति में “प्रभार हैं” शब्दों के स्थान पर “प्रभार” शब्द पढ़ें ;
5. अनुसूची 2 में, स्तम्भ (2) के ठीक ऊपर “कीमत रुपए” शब्दों के स्थान पर “कीमत” शब्द पढ़ें ; और
6. अनुसूची 2 के नीचे टिप्पण में “बूंगी” शब्द के स्थान पर “बूंगी” शब्द पढ़ें ।

[सं. 1-33/79-एस पी वाई (डेस्क 2)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURAL AND IRRIGATION

(Department of Food)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd October, 1979

G.S.R. 562(E)/Ess. Com./Sugar.—In the order of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. G.S.R. 536(E)/Ess. Com./Sugar dated the 12th September, 1979 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 12th September, 1979, at page 1165,—

- (1) In clause 4, for the words “this behalf” read “his behalf”;
- (2) In clause 5, in sub-clause (1), in item (iii),—
 - (a) for the word “receptacles” read “receptacles,”;
 - (b) for the letter “a,” read “a”;
- (3) In Schedule 1,—in column (1);
 - (a) for the words and bracket “Gujarat Maharashtra” read “Gujarat Maharashtra Goa”;
 - (b) the word “Goa” shall be deleted.

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.